



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27102022-239904
CG-DL-E-27102022-239904

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4831]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 27, 2022/कार्तिक 5, 1944

No. 4831]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 27, 2022/KARTIKA 5, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2022

का.आ. 5049(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2283 (अ) तारीख 18/05/2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के महोबा जिले में NH76 के कि.मी. 135.241 से कि.मी. 135.490 (कुलपहाड़, महोबा) के भूखण्ड पर रोड चौड़ीकरण के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "25.05.2022" को "अमर उजाला" और "इण्डियन एक्सप्रेस" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के महोबा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-76 के कि.मी. 135.241 से कि.मी. 135.490 तक ग्राम कुलपहाड़, तहसील कुलपहाड़, जनपद महोबा में रोड चौड़ीकरण के निर्माण हेतु अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश		जिले का नाम: महोबा			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: कुलपहाड़				
	गांव का नाम: कुलपहाड़				
1	1748	अन्य	कृषि/गैरकृषि	0.03	गोबिन्ददास पुत्र घनश्याम नि0 कुलपहाड़ (निजी, कृषि) (1748)
2	1759	अन्य	कृषि/गैरकृषि	0.09	उत्तर प्रदेश सरकार (सरकारी, आबादी) ()
3	2487	अन्य	कृषि/गैरकृषि	0.13	उत्तर प्रदेश सरकार (सरकारी, आबादी) ()
			कुल	0.25	

[फा. सं. NH-12014/20/2016-UP/NH-II/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2022

S.O. 5049(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 2283(E) dated 18th May, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction (Road widening etc.), maintenance, management and operation of NH76 on the stretch of land from Km. 135.241 to Km. 135.49 (Kulpahar, MAHOB) in the district of MAHOB in the state of UTTAR PRADESH;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Amar Ujala” and “Indian Express” both dated 25.05.2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling for Construction of (Road widening etc.), Village Kulpahar of National Highway No. 76 within in the stretch of land from Km. 135.241 to Km. 135.49 (Kulpahar, MAHOBA) in the district of Mahoba in the State of Uttar Pradesh

State: UTTAR PRADESH			District: MAHOBA		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: kulpahad				
	Village: kulpahad				
1	1748	Common	Agriculture/non-Agriculture	0.03	Gobinddas S/o Ghanshyam R/o Kulpahad (Private, Agriculture) 1748
2	1759	Common	Agriculture/non-Agriculture	0.09	Government of Uttar Pradesh (Govt., township)
3	2487	Common	Agriculture/non-Agriculture	0.13	Government of Uttar Pradesh (Govt., township)
			TOTAL	0.25	

[F. No. NH-12014/20/2016-UP/NH-II/3D]

RAJESH GUPTA, Director